न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री सक्षम गोयल आई0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
08/2020	प्रा0पत्र114 CPC	06.07.2020	21.03.2024

उमाराम पुत्र श्री जोराराम जाति जाट निवासी ग्राम जुहारपुरा तहसील व जिला चूरू
–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी व धारा 151, 114 सी.पी.सी.

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री शिवगोतम सोलंकी प्रार्थी
2. अधिवक्ता राजपेरोकार अप्रार्थी

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी. का न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 जो रोही ग्राम जुहारपुरा 203/172 तादादी 0.0126 हैक्टेयर, 204/172 तादादी 3.5157 हैक्टेयर कुल किता 2 तादादी 3.5286 हैक्टेयर की कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है जिसमें अप्रार्थी ने भूलवश खसरा नम्बर 172 मूल खसरे को तोड़कर 203/172 रास्ता कृषि भूमि पर कटानी रास्ता राजस्व केम्प सहनाली छोटी में पटवारी हल्का व तहसीलदार, पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर श्रीमानजी द्वारा दिनांक 21.10.2016 को कायम कर दिया गया । आदेश दिनांक 21.10.2016 श्री देवाराम पुत्र ओकारमल व भवरलाल पुत्र भोमाराम के प्रार्थना पत्र पर जारी किया गया जिस पर प्रार्थी के कोई अगूठा व हस्ताक्षर नहीं है तथा उक्त कृषि भूमि के आसपास पहले से ही रास्ता कटानी मौजूद है फिर भी पटवारी हल्का व गिरदावर ने ना तो मौके का मुआयना किया और नाही कोई मौका फर्द बनाई गई जबकि मुझ प्रार्थी को ना ही पक्षकार बनाया गया और ना ही कहीं मेरे हस्ताक्षर व अंगूठा निशान है तथा ना ही में कैम्प में मौजूद था वा ना ही मेरे रास्ता के प्रति कोई सहममि पत्र दिया गया है । पटवारी हल्का व गिरदावर ने अप्रार्थी थानाराम पुत्र जैसाराम व जैताराम पूंनियां, छोटूराम लच्छी पत्नी गिरधारीलाल से मिलकर साठ गांठ करके मुझ प्रार्थी के खेत में नया रास्ता कायम कर दिया जो न्याय संगत नहीं विधि विरूद्ध है। मौका रिपोर्ट पर जिल अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर हैं उनके खेतों में पहले से ही जोहड से होकर रास्ता जाता है और मेरा खेत उस रास्ता पर मौजूद है जिससे नये रास्त की आवश्यकता नहीं है । आज भी मेरे खेत में रास्ता मौजूद नहीं है । जिसकी पटवाररी हल्का से जांच करवा[illegible] है।

उक्तानुसार पटवारी हल्का की मौका रि[illegible]र, तहसीलदार साहब की अभिशंषा पर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 17[illegible]203/172 कृषि भूमि से रास्ता कायम कर निर्णय दिनांक 21.[illegible] द्वारा गलत निर्णय प[illegible]या गया है, जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पुनर्विलो[illegible] प्रस्तुत कर निवेदन है[illegible]र्व में पारित निर्णय आदेश दिनांक 21.10.2016 व नं. मु. 583/2016 को निरस्त फरमाया जावे एवम् प्रार्थी के पक्ष में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त दस्तावेजो का अवलोकन कर प्रार्थी के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:13 IST
Reason: SelfAttested

में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में काटे गये कटानी रास्ते के आदेश व निर्णय को खारिज/निरस्त फरमाया जावे एवम् दिनांक 21.10.2016 की पूर्व स्थिति बहाल की जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये । जिस पर अप्रार्थी द्वारा अपना जबाब प्रस्तुत कर विशेष कथन में निवेदन किया है कि रोही ग्राम जुहारपुरा के खसरा नम्बर 3, 4, 6, 155/5, 156/5 व 172/7 कुल किता 06 में से चालू रास्ते को कटानी रास्ते में कायम किया गया है । उक्त खसरा नम्बर 172 के खातेदार उमाराम पुत्र जोराराम की सहमति नहीं है। इसके खसरे 172 में 01 बिश्वा भूमि रास्ते के रूप में कायम की गई है । उक्त रास्ते का रकबा सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रखा गया है। उक्त चालु रास्ता को कटानी कायम किया गया है । प्रार्थी उमाराम के खेत खसरा नम्बर 172 की उतरी पश्चिमी सीमा में से गुजरता हे। जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली को बहस में ली गयी । अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी की बिना सहमति के उसके खातेदारी कृषि भूमि के खेत से रास्ता कटानी कायम कर दिया गया जबकि प्रार्थी के खेत से कोई रास्ता नही जाता है। आदि आदि प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि पारित आदेश दिनांक 21.10.216 को खारिज कर दिनांक 21.10.2016 से पूर्व की स्थिति की जावे । राजपैरोकार द्वारा कथन किया गया कि मौके पर चालू रास्ते को कटानी किया गया है जिसका रकबा 01 बिश्वा है और खातेदार के खाते में ही दर्ज हैं।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन एवं बहस सुनी जाने से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.2016 को खारिज कर पूर्व स्थिति कायम करवाना चाहता है। जबकि धारा 114 सीपीसी में अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्या त्रुटि (an error apparent on the face of the record) का ही रिव्यू लगाया जा सकता है। गलत निर्णय (erroneous) और अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्या त्रुटि (an error apparent on the face of the record) में अन्तर है । प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अथवा दौरान बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई त्रुटि की तरफ ध्यान नही दिलाया है जो कि अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य (an error apparent on the face of the record) की श्रेणी में आती हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में जो आधार गिनाये गये हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो निर्णय दिनांक 21.10.2016 के पुनर्विलोकन का आधार बन सके। जिन बिन्दुओं पर एक बार निर्णात किये जा चुके हों उन पर पुनर्विलोकन के माध्यम से विचारण नहीं किये जा सकते हैं। यदि प्रार्थी निर्णय दिनांक 21.10.2016 को सही नहीं मानते हैं तो भी उसकी आपत्ति पर पुनर्विलोकन प्रकरण पर विचार नहीं किया जा सकता है। गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है अपितु मात्र अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) को ही ठीक किया जा सकता है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं। यदि प्रार्थी के दृष्टिकोण से निर्णय दिनांक 21.10.2016 में सही निष्कर्षांकन नहीं भी किया है तो आलोच्य [illegible] 21.10.2016 गलत (erroneous) हो सकता है किन्तु भूल (bymistake) [illegible] है और ऐसा निर्णय पुनर्विलोकन के सीमित परिक्षेत्र में नहीं आ[illegible] निर्णय दिनांक 21.10.2016 से व्यथित है तो पुनर्विलोकन के बजाय उन्हें विधि मे उपलब्ध [illegible] उपचार तलाश करना चाहिएं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:13 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि प्रार्थी के पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को मंजूर करने के पर्याप्त आधार नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सीपीसी का खारिज किया जाता है । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

आदेश आज दिनांक 21.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(सक्षम गोयल)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Saksham Goel
Date: 2024.04.24 10:59:13 IST
Reason: SelfAttested